फा.सं.12/1/2018-प्रशासन भाग-1
भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

92, संविधान भवन,
(पुराना संसद भवन)
नई दिल्ली-110001
तारीख: 13.11.2023

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषयः संसदीय कार्य मंत्रालय के संबंध में अक्तूबर, 2023 का मासिक सारांश।

अधोहस्ताक्षरी को इसके साथ संसदीय कार्य मंत्रालय के अक्तूबर, 2023 के मासिक सारांश की एक प्रति अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

हस्ता./-
(पी.के. त्रिपाठी)
अवर सचिव, भारत सरकार
011 -23034746

संलग्नक: यथोपरि

सेवा में

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।
2. मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित:

1. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली।
2. राष्ट्रपति जी के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. उप-राष्ट्रपति जी के सचिव, मौलाना आज़ाद रोड़, नई दिल्ली।
4. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सभी सचिव।
6. संसदीय कार्य मंत्री के निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी।
7. संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों के निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी।
8. सचिव/अपर सचिव के निजी सचिव।

भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

विषय: संसदीय कार्य मंत्रालय का अक्तूबर, 2023 का मासिक सारांश।

1. **माह के दौरान महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय/प्रमुख उपलब्धियां:-**

- **संसद में आश्वासनों का कार्यान्वयन**

अक्तूबर, 2023 के अंत में, लोक सभा के 754 और राज्य सभा के 676 आश्वासन लंबित थे। माह के दौरान, लोक सभा सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के कहने पर 02 आश्वासन जोड़े गए जबकि सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, राज्य सभा के कहने पर 52 आश्वासन जोड़े गए।

- **परामर्शदात्री समितियों का कार्यकरण**

अक्तूबर, 2023 माह में-
क. परामर्शदात्री समितियों 03 बैठकें आयोजित की गईं।
ख. रसायन और उर्वरक मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति से एक सदस्य का नाम उनका निधन होने के कारण हटाया गया।

उपरोक्त से संबंधित विवरण **अनुबंध–I** में दिया गया है।

- **लोक सभा में नियम 377 के तहत उठाए गए और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई**

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के संबंध में लोक सभा में नियम 377 और राज्य सभा में नियम 180 ए-ई के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों की स्थिति निम्नानुसार है:-

	लोक सभा में नियम 377 के तहत उठाए गए मामले	**राज्य सभा में नियम 180-ई के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामले**
दिनांक 01.10.2023 को लंबित मामले	401	087
माह के दौरान उठाए गए मामले	000	000
कुल मामले	401	087
माह के दौरान प्राप्त उत्तर	128	023
माह के अंत में लंबित मामले	**273**	**064**

- **युवा संसद योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करना**

क. केंद्रीय विद्यालयों के लिए 34वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2023-24 के आंचलिक/राष्ट्रीय स्तर के मूल्यांकन की तारीखों पर मंत्रालय द्वारा अंतिम निर्णय लिया गया।
ख. शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा प्रायोजित विद्यालयों के लिए 56वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2023-24 के मूल्यांकन की तारीखों पर मंत्रालय द्वारा अंतिम निर्णय लिया गया।

ग. अक्तूबर, 2023 के दौरान, कुल 30 संस्थानों ने एनवाईपीएस पोर्टल पर पंजीकरण किया। 16 संस्थानों ने युवा संसद की बैठक आयोजित करने के बाद एनवाईपीएस पोर्टल पर पूर्ण या आंशिक रूप से फोटो, वीडियो, रिपोर्ट, छात्रों का विवरण आदि अपलोड किया।

- **राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा)**

अक्तूबर, 2023 माह के दौरान नेवा के संबंध में निम्नलिखित गतिविधियां की गईं:

1. नेवा परियोजना पर पंजाब का लाइव सत्र: पंजाब विधानसभा ने 20 अक्तूबर, 2023 से अपना चौथा सत्र नेवा प्लेटफार्म के माध्यम से संचालित किया। कार्यसूची, डिजिटल सदन आदि जैसे नेवा के विभिन्न मॉड्यूल्स का सत्र के दौरान उपयोग किया गया। नेवा प्लेटफार्म पर सफलतापूर्वक सदन चलाने के लिए पंजाब विधानसभा को सीपीएमयू नेवा द्वारा अपेक्षित सहायता प्रदान की गई।

2. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित कार्यशाला - सीपीएमयू नेवा टीम ने 11 अक्तूबर, 2023 को डिजिटल अभिलेखागार नेवा के माध्यम से विरासत अभिलेखों के डिजिटलीकरण हेतु हरियाणा विधानसभा के साथ का आभासी सम्मलन का आयोजन किया।

3. नेवा प्लेटफार्म पर सत्र संचालित करने के लिए विभिन्न विधान सभाओं को प्रदान की गई सहायता - सीपीएमयू नेवा टीम द्वारा उत्तर प्रदेश (दोनों सदन), बिहार विधान परिषद, पंजाब विधान सभा, ओडिशा और त्रिपुरा विधान सभा को अपेक्षित सहायता प्रदान की गई ताकि वे नेवा प्लेटफार्म का निर्बाध उपयोग कर सकें।

2. लंबे समय तक अंतर-मंत्रालयी परामर्श के कारण रुके हुए महत्वपूर्ण नीतिगत मामले

-शून्य-

3. तीन महीने से अधिक समय से लंबित 'अभियोजन हेतु स्वीकृति' के मामलों की संख्या

-शून्य-

4. उन मामलों का विवरण जिनमें कार्य निष्पादन नियमों या सरकार की स्थापित नीति से विचलन शामिल रहा।

-शून्य-

5. जारी स्वच्छता अभियान की स्थिति (विशेष अभियान के तहत प्रगति)

2 अक्तूबर से 31 अक्तूबर, 2023 तक लंबित मामलों के निपटान हेतु विशेष अभियान 3.0 के दौरान, जन शिकायतों, संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों, संसद के आश्वासनों के निपटान, स्वच्छता, स्क्रैप निपटान और फाइलों की छंटाई/रिकॉर्ड प्रबंधन इत्यादि पर ध्यान केंद्रित किया गया।

अभियान के दौरान, संसदीय कार्य मंत्रालय ने निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल की:

(क) 263 भौतिक फाइलों की समीक्षा का लक्ष्य हासिल किया गया।
(ख) 145 ई-फाइलों की समीक्षा का लक्ष्य हासिल किया गया।
(ग) विशेष अभियान 3.0 के दौरान 47 फाइलें नष्ट की गईं।
(घ) स्क्रैप की बिक्री से रू.3,45,000/- का राजस्व प्राप्त हुआ।

संसदीय कार्य मंत्रालय जन शिकायतों और प्रधान मंत्री कार्यालय के संदर्भों को प्राथमिकता के आधार पर देखता है और अभियान के दौरान त्वरित और तत्काल कार्रवाई के कारण विचाराधीनता शून्य रही थी।

6. स्वायत्त निकायों के युक्तिकरण की स्थिति

इस मंत्रालय के तत्वावधान में कोई स्वायत्त निकाय नहीं है।

7. शासन और विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित टोल और अनुप्रयोगों के उपयोग हेतु उठाए गए विशिष्ट कदमों की जानकारी

- लागू नहीं-

8. स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित मंत्रालय/विभाग में वरिष्ठ स्तर की नियुक्तियों की रिक्ति स्थिति

वर्तमान में मंत्रालय में वरिष्ठ स्तर के सभी पद भरे हुए हैं।

9. उन मामलों की सूची जिनमें एसीसी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है

-शून्य-

10. माह के दौरान स्वीकृत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों का विवरण और मंत्रालय/विभाग में अनुमोदन की प्रतीक्षा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों की स्थिति।

-शून्य-

अनुबंध- I

अक्तूबर, 2023 माह में आयोजित परामर्शदात्री समितियों की बैठकों का विवरण

क्र.सं.	दिन, दिनांक और समय	मंत्रालय	विषय	स्थान/टिप्पणी
1.	शनिवार, 7 अक्तूबर, 2023 पूर्वाह्न 11.00 बजे	विदेश	जी20 शिखर सम्मेलन	जवाहरलाल नेहरू भवन (सम्मेलन कक्ष संख्या 1) गेट नं.1, सी-विंग, 26-डी, जनपथ, नई दिल्ली
2.	गुरूवार, 12 अक्तूबर, 2023 पूर्वाह्न 11.30 बजे	आवासन और शहरी कार्य	शहरी परिवहन	समिति कक्ष "घ", संसदीय सौध, नई दिल्ली
3.	शुक्रवार, 13 अक्तूबर, 2023 पूर्वाह्न 11.00 बजे	नागर विमानन	फॉग प्लानिंग	समिति कक्ष "घ", संसदीय सौध, नई दिल्ली

उन सांसदों की सूची जिनके नाम निधन/त्यागपत्र/सेवानिवृत्ति/अयोग्यता के कारण अक्तूबर, 2023 के दौरान विभिन्न परामर्शदात्री समितियों से हटाए गए

क्र.सं.	संसद सदस्य का नाम	परामर्शदात्री समिति, जिसमें नामित थे	कारण
1.	श्री बालूबाहू (उर्फ सुरेश नारायण) धनोरकर, संसद सदस्य (लोक सभा)	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	30.05.2023 को निधन। (पत्र 3.10.2023 को जारी किया गया)